लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

5th

LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र
Third Session]

Preservation Unit
12-8-92
Forwarded On 15-2-89
Parliament Library

[खंड 10 में अंक 21 से 31 तक हैं
Vol. X Contains Nos. 21 to 31]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 27, शनिवार, 18 दिसम्बर, 1971/27 अग्रहायण, 1893 (शक)

No. 27, Saturday, December 18, 1971/Agrahayana 27, 1893 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
बंगाल की खाड़ी में अमरीका के सातवें बेड़े की उपस्थिति के बारे में	Re. Presence of U. S. Seventh Fleet in Bay of Beagal ...	1
राज्य विधान सभाओं के चुनावों के बारे में	Re. Elections to State Assemblies ...	2
संघ राज्य क्षेत्र कराधान विधियाँ (संशोधन) विधेयक	Union Territories Taxation Laws (Amendment) Bill ...	2—4
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider ...	2
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant ...	2
श्री बीरेन दत्त	Shri Biren Dutta ...	3
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta ...	3—4
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo ...	4
खंड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1 ...	5
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass ...	5
प्रधान मंत्री और रक्षा मंत्री के वक्तव्यों के बारे में घोषणा	Announcement re Statements by the Prime Minister and Defence Minister ...	3
आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक	Essential Commodities (Amendment) Bill ...	5
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha ...	5
श्री घनश्याम ओझा	Shri Ghanshyam Oza ...	6—12
श्री गदाधर साहा	Shri Gadadhar Saha ...	7
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee ...	9—10
श्री पन्नालाल बारुपाल	Shri Panna Lal Barupal ...	10
श्री सी० चित्ति बाबू	Shri C. Chittibabu ...	10—11
खंड 2, से 5 और 1	Clauses 2 to 5 and 1 ...	13
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass ...	13
विकलांग सैनिकों और युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं के लिए सुविधाओं के बारे में वक्तव्य	Statement re facilities for disabled servicemen and war widows	
श्रीमती इन्दिरा गाँधी	Shrimati Indira Gandhi ...	7—9

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के बारे में सांविधिक संकल्प	Statutory Resolution re Punjab State Electricity Board ...	13—14
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh ...	13—14
उत्तर प्रदेश छावनी (भाटक तथा बेदखली नियंत्रण) (निरसन) विधेयक	Uttar Pradesh Cantonements (Control of Rent and Eviction) (Repeal) Bill ...	15—17
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider as passed by Rajya Sabha ...	15
श्री विद्या चरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla ...	15—16
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee ...	16
श्री मोहम्मद इस्माइल	Shri Mohammad Ismail ...	16
श्री नरसिंह नारायण पांडे	Shri Narsingh Narain Pandey...	17
खंड 2, 3 और 1	Clauses 2,3 and 1 ...	17
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass ...	17
भारत पर पाकिस्तानी आक्रमण के फलस्वरूप हुए हाल के सशस्त्र संघर्ष के परिणाम की समीक्षा करते हुए रक्षा मंत्री का वक्तव्य	Statement by Defence Minister reviewing the outcome of recent armed conflict arising out of the Pakistani aggression on India	
श्री जगजीवन राम	Shri Jagjivan Ram ...	18—21

लोक सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)
LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक सभा

LOK SABHA

शनिवार, 18 **दिसम्बर**, 1971/27 **अग्रहायण**, 1893 (**शक**)
Saturday, December 18, 1971/Agrahayana 27, 1893 (Saka)

लोक सभा दो बजे म० प० पर समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Fourteen of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

बंगाल की खाड़ी में अमरीका के सातवें बेड़े की उपस्थिति के बारे में

Re. PRESENCE OF U. S. SEVENTH FLEET IN BAY OF BENGAL

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : वाशिंगटन में संयुक्त राज्य अमरीका के रक्षा विभाग के दिनांक 17 दिसम्बर, 1971 के समाचार में यह बताया गया है कि पाकिस्तान में अमरीकी नागरिकों की सुरक्षा की व्यवस्था करने के बदले अमरीकी नौसेना के जहाज बंगाल की खाड़ी में रहेंगे। इस मामले को और अधिक उलझाने की दृष्टि से अमरीकी सरकार के 'पेंटागन' के प्रवक्ता ने बताया है कि भारत द्वारा किये गये एकतरफा युद्धविराम से इतनी जल्दी कोई निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते हैं तथा उन्होंने आगे यह कहा है कि अमरीका का सातवाँ जंगी नौसैनिक बेड़ा भारतीय सेनाओं के आगे पाकिस्तान द्वारा हथियार डाल दिये जाने के बाद भी पूर्वी पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। संयुक्त राज्य अमरीका का कुचक्र प्रशांत महासागर के अमरीकी कमांडर एडमिरल जौन एस० सी० एम० सी० कैन जूनियर द्वारा कही गयी बातों से और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने कहा है कि अमरीका का सातवाँ बेड़ा वियतनाम में लड़ाई समाप्त हो जाने के बाद हिन्द महासागर में संभवतया अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। यह बड़ी गम्भीर बात है और हमें सदन में इस संबंध में चर्चा करनी चाहिए।

राज्य विधान सभाओं के चुनावों के बारे में

Re. ELECTIONS TO STATE ASSEMBLIES

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : प्रधान मंत्री के कमरे में हुई सर्वदलीय बैठक में निर्णय किया गया है कि विभिन्न विधान सभाओं के चुनाव कम से कम अक्तूबर के अन्त तक नहीं होंगे। सुना गया है कि सरकार ने विभिन्न विधान सभाओं की अवधि एक वर्ष और बढ़ाने से संबंधित विधेयक की कोई सूचना नहीं दी है। सरकार को इस बारे में एक स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिए कि चुनाव होंगे अथवा नहीं ?

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि क्या युद्ध-विराम की घोषणा का अर्थ यह है कि हमने यथापूर्व स्थिति को मान लिया है और क्या हमारे लिए यह आवश्यक होगा कि युद्ध के दौरान मुक्त कराये गये सीमावर्ती क्षेत्रों को पुनः पाकिस्तान को लौटाना होगा अथवा क्या सरकार का विचार मुक्त कराये गये क्षेत्रों को अपने पास रखने का है।

संघ राज्य क्षेत्र कराधान विधियाँ (संशोधन) विधेयक

UNION TERRITORIES TAXATION LAWS (AMENDMENT) BILL

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

> "कि संघ राज्य क्षेत्रों की कतिपय कराधान विधियों का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह विधेयक बंगला देश के शरणार्थियों की सहायता के लिए अतिरिक्त सहायता जुटाने हेतु राष्ट्रीय प्रयास के रूप में सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पेश किया गया है। इस मामले पर गत अक्तूबर में, जिसमें राज्यों के राज्यपालों और मुख्य मंत्रियों ने भाग लिया था, विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि बंगला देश के शरणार्थियों की सहायता के लिए समान रूप से प्रयोग किये जाने हेतु केन्द्र और राज्य दोनों को, अतिरिक्त कराधान के अपने संबंधित क्षेत्रों में अतिरिक्त संसाधन जुटाने चाहिये।

गोआ, दमन और दीव के निर्वाचित सदस्यों ने यह इच्छा व्यक्त की है कि इस संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा को इस तरह के विधेयक पर समुचित रूप से विचार करना चाहिये। इस समय मणिपुर में कोई विधान सभा नहीं है तथा त्रिपुरा विधान सभा को निलम्बित किया गया है। जहाँ तक इन दो संघ राज्य क्षेत्रों का संबंध है, संसद द्वारा विधान पारित करना होगा। हमें बताया गया है कि गोआ, दमन और दीव विधान सभा का अधिवेशन मार्च, 1972 से पहले नहीं होगा तथा पांडेचेरी विधान सभा का 17 जनवरी, 1972 के अन्त में ही होने की सम्भावना है। हम इतने लम्बे समय तक कोई प्रतीक्षा नहीं कर सकते तथा हमारा विचार है कि इस उद्देश्य को शीघ्र प्राप्त करने के लिए सब संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में एक व्यापक विधेयक लाया जाये।

दोनों संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें इसके लिये सहमत हो गयीं हैं। इन अतिरिक्त करों से वर्ष में 78 लाख रु० का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की सम्भावना है। बंगला देश के शरणार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किये जाने वाले खर्च की तुलना में यह राशि अधिक नहीं है। आशा की जाती है कि यह राशि राष्ट्रीय प्रयास में संघ राज्य क्षेत्रों के लोगों का एक उत्तम अंशदान समझा जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि संघ राज्य क्षेत्रों की कतिपय कराधान विधियों का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा पश्चिम) : भारत के लोगों ने बंगला देश के स्वतंत्रता संग्राम में सराहनीय कार्य किया है, जो हमारे लिये एक गौरव की बात है। अब हमारे समक्ष वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने का प्रश्न है।

संघ राज्य क्षेत्रों, में कुछ कर लगाने के लिए यह विधेयक सभा में पेश किया गया है। कुछ संघ राज्य क्षेत्र बहुत पिछड़े हुए हैं तथा वहाँ के लोग बहुत गरीब हैं। मैं समझता हूं कि सरकार यदि कर लगाने के बजाय करों की बकाया राशि, जो 841 करोड़ रुपये है, को वसूल करने का प्रयास करती, तो अधिक अच्छा होता। शरणार्थियों की सहायता के लिए इन संघ राज्य क्षेत्रों से कर वसूल करने के लिए नये उपाय करना संगत नहीं है। सरकार को इन पिछड़े हुए संघ राज्य क्षेत्रों पर और अधिक कर नहीं लगाने चाहिये। इस विधेयक से सरकार की अधिक कर की प्राप्ति नहीं होगी। दूसरी ओर इससे संघ राज्य क्षेत्रों, विशेषकर मणिपुर और त्रिपुरा के जहाँ पहले ही माल को लाने, ले जाने की लागत बहुत अधिक है, लोगों को अधिक कष्ट होगा। इस विधेयक से केवल व्यापारियों को ही, जो मूल्य बढ़ा देंगे, लाभ पहुँचेगा। सरकार को चाहिये कि वह इस विधेयक को वापस ले ले।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : शरणार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिये नये कर एवं शुल्क लगाने के उद्देश्य से यह विधेयक सामने आया है, हमारा अनुभव बताता है कि अतिरिक्त बिक्री कर लगाने के फलस्वरूप निरपवाद रूप से वस्तुओं के मूल्यों की अपेक्षाकृत वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार की जा रही अनावश्यक मूल्य वृद्धि को रोकने के लिये किसी तरह का सरकारी तंत्र नहीं बनाया गया है। यह मद विशेष प्रत्यक्ष रूप से जीवन-यापन और आर्थिक स्थिति से सम्बद्ध है। हम कर लगाने के लिए ऐसी मदों का चयन करना चाहते हैं, जिससे जनसाधारण को वस्तुओं के अधिक दाम न देने पड़ें। इस नई परिस्थिति में हमें ऐसी आशा नहीं है कि बंगला देश के शरणार्थियों का मामला अधिक देर रहने वाला है और इसलिये इस समय समूचे संघ राज्य क्षेत्रों में बिक्री कर का लगाना अनावश्यक और अनुचित है और इसे वापिस लिया जाना चाहिये। यात्री भाड़े के संबंध में "एक रुपया और इससे ऊपर" के सभी भाड़ों पर यह अधिभार लगाया जायेगा। जहाँ संघ राज्य क्षेत्र में एक विशेष नगर अथवा विशेष उपनगर है, वहाँ ऐसी संभावना है कि एक नगर या उपनगर के भीतर अधिकतम बस भाड़े पर यह उपबंध लागू नहीं होगा। किन्तु उन संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में जहां फासला लम्बा है और जहाँ लोगों के लिए परिवहन

का मुख्य साधन बस ही है, संभव है कि बस का किराया एक रुपये से बढ़ जाये और "एक रुपया तथा अधिक" की श्रेणी में आ जाये, सरकार इसे बढ़ाकर यात्रियों पर अनावश्यक रूप से कर क्यों लगाना चाहती है क्योंकि कुछ क्षेत्रों में जनता को परिवहन का केवल एक उपाय सड़क परिवहन ही उपलब्ध है। अतः सरकार को यह कर भी हटा देना चाहिये।

श्री पी० के० देव (कलाहांडी) : मैं विधेयक का विरोध इसलिये करता हूँ कि बंगला देश अब वास्तविकता बन चुका है और शरणार्थियों को अपने घरों को वापिस जाना आरम्भ कर देना चाहिये। बंगला देश के शरणार्थियों की सहायता का तर्क देकर इस प्रकार का कोई कर नहीं लगाया जाना चाहिये।

प्रस्तावित कर से जन-साधारण पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। विक्रय करों और अप्रत्यक्ष कराधान से बेईमान व्यापारी कई वस्तुओं की कीमतें बढ़ा देंगे। शरणार्थियों के लिये अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु इस सभा में पेश किए गये सभी विधेयकों पर विचार नहीं किया जाना चाहिये।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैं अपने माननीय मित्र श्री देव की टिप्पणी सुनकर कुछ हैरान हुआ क्योंकि मैं नहीं समझता कि इस विधेयक के लिये किसी को कोई आपत्ति हो, चाहे वह सैद्धान्तिक हो अथवा किसी और प्रकार की। यह कहना उचित नहीं है कि चूँकि युद्ध समाप्त हो गया है, अतः यह विधेयक अनावश्यक हो गया है। यह जो राशि बढ़ायी जा रही है, शरणार्थियों की देखभाल करने के लिये संसाधन जुटाने के कुल राष्ट्रीय प्रयास का यह एक भाग है। इसकी आवश्यकता अभी भी रहेगी, हमें आशा है कि शरणार्थी नियंत्रित ढंग से अपने घरों को वापिस लौटेंगे और पहले ही जो व्यय हो चुका है उसे वर्तमान संसाधनों से पूरा नहीं किया जा सका है। कहा गया है कि संघ राज्य क्षेत्रों की, जोकि पिछड़े क्षेत्र हैं, जनता पर इन करों का भार नहीं डालना चाहिये। क्षेत्र के सापेक्ष पिछड़ेपन से इसका कोई संबंध नहीं है। इस देश में प्रत्येक नागरिक को इस राष्ट्रीय प्रयास में अवश्य योगदान देना चाहिये जोकि राष्ट्रीय आवश्यकता है।

एक संघ राज्य क्षेत्र अर्थात् चन्डीगढ़ में मूल भाड़े पर 5 प्रतिशत अधिभार यात्री भाड़ा लगाया गया है। इस अधिभार को किसी अन्य संघ राज्य क्षेत्र पर नहीं लगाया गया है। चन्डीगढ़ एक संघ राज्य क्षेत्र वाला नगर है और इसलिए इस नगर के भीतर सभी भाड़े एक रुपये के अन्तर्गत आजायेंगे। पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों ने इस विधेयक को स्वीकार कर लिया है। इसलिए समानता के लिए इस अधिभार को चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में भी लगाना आवश्यक है। चंडीगढ़ के पक्ष में कोई बात कर देना और पंजाब अथवा हरियाणा के लिए यह बात न करना, पक्षपातपूर्ण होगा। मुझे आशा है कि सदन इस विधेयक के लिए सहमत होगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संघ राज्य क्षेत्रों की कतिपय कराधान विधियों का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, 3 अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खंड 2, 3 अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2, 3, the Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the title were added to the Bill.

श्री कृष्णचन्द्र पंत : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

प्रधान मंत्री और रक्षा मंत्री के वक्तव्यों के बारे में घोषणा

ANNOUNCEMENT Re. STATEMENT BY THE PRIME MINISTER AND THE DEFENCE MINISTER

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को सूचित करना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री 2·45 म० प० तथा रक्षा मंत्री 3·30 म० प० पर अपने-अपने वक्तव्य देंगे।

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक

ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) BILL

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार किया जाये।"

इस विधेयक का मुख्य प्रयोजन आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 12 क के उपबंधों को स्थायी बनाना है। जैसा कि सदस्यगण जानते हैं, धारा 12 क के उपबंध 31 दिसम्बर, 1971 को समाप्त हो जायेंगे। पिछली बार जब विधेयक में संशोधन किया गया तो कुछ सदस्यों ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि यह संशोधन लम्बी अवधि के लिये किया जाये या स्थायी आधार पर किया जाये। किन्तु उस समय सरकार ने यह सोचा था कि इसे 2 वर्ष के लिये रखा जा सकता है और तब स्थिति पर विचार किया जा सकता है।

माननीय सदस्यों को विदित है कि धारा 12 क का संबंध विशिष्ट आदेशों से है। जब सरकार यह अधिसूचित करती है कि किसी आदेश को विशिष्ट आदेश माना जाये तो उसके उपबंधों के अन्तर्गत संक्षिप्त विचारण के बाद तत्काल कार्यवाही की जाती है। इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। धारा 12 क 31 दिसम्बर के बाद प्रभावी नहीं रहेगी। इस संशोधनकारी विधेयक को इसलिए प्रस्तुत किया गया है ताकि इस धारा को स्थायी रूप दिया जा सके। इस कानून की धारायें कठोर हैं, अतः हमने यह व्यवस्था की है कि ये अधिसूचनायें केवल दो वर्ष की अवधि के लिए ही लागू की जायें। अधिनियम के क्रियान्वयन में जिन कमियों का पता चला है, हम उन कमियों को दूर करने के लिए इस बिधेयक का प्रयोग करेंगे।

धारा 2 (1) (च) के अन्तर्गत सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी तलाशी और जब्ती आदि को वैध ठहरा सकती है। अभी तक उसे यह अधिकार प्राप्त नहीं था कि वह बर्तन, आवरण और गाड़ी को भी जब्त कर ले जिसमें अवैध वस्तु ले जाई जा रही हो। अब इस संशोधन द्वारा इस कमी को दूर किया जा रहा है।

हमने धारा 3 में भी संशोधन किया है जिसके फलस्वरूप सरकार को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह सामग्री के भण्डार को व्यापक हितों की दृष्टि में अपने अधिकार में कर ले।

वर्तमान कानून के अनुसार नियंत्रित मूल्य और फसल का मूल्य निर्धारित किया जाता है। इसमें फसल के बाद के मूल्य का ध्यान नहीं रखा जाता। इसलिए "और" को "अथवा" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

धारा 5 में भी संशोधन करने का विचार है। इसके द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन करने का अधिकार सरकार को दिया गया है। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार और संबद्ध अधिकारियों को शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकती है। इस धारा में यह स्पष्ट नहीं है कि आदेशों अथबा अधिरचनाओं को जारी करने की शक्ति भी प्रत्यायोजित की जा सकती है अथवा नहीं। कुछ मामलों में, सरकार को अधिसूचनायें जारी करनी पड़ती हैं। अधिनियम को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए हम इन अधिसूचनाओं को जारी करने का अधिकार भी प्रत्यायोजन के लिए शामिल कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

श्री गदाधर साहा (बीरभूम) : इस विधेयक का उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्य, उत्पादन और उनके वितरण को नियन्त्रित करना है। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियन्त्रण होना चाहिए और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होनी चाहिए। इस समय ऐसा प्रतीत होता है कि तस्करी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी और मिलावट पर किसी भी प्रकार का नियन्त्रण नहीं है। इससे मूल्यों में वृद्धि होती है। इन सभी अपराधों को रोकने में सरकार विफल रही है। आम जनता को लूटने के लिए पूंजीपतियों और एकाधिकारियों द्वारा स्वेच्छा से मूल्य बढ़ा दिये जाते हैं। अतः इन गतिविधियों को रोकने के लिए इस अधिनियम को शीघ्रता से और प्रभावकारी ढंग से लागू किया जाना चाहिए।

जो व्यापारी मोटरगाड़ियों में तस्करी का धंधा करते हैं, उन्हें ऐसा करने से रोका जाना चाहिए। व्यापारी और बड़े पूँजीपति खाद्य-पदार्थों और दवाइयों में मिलावट करने में बहुत कुशल हैं। चावल, दाल और मिट्टी के तेल में भी मिलावट की जाती है। जन साधारण को लूट से बचाने के लिए एक ऐसे तन्त्र की स्थापना की जानी चाहिए ताकि इन एकाधिकारियों पर अंकुश लग सके।

विकलांग सैनिकों और युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं के लिए सुविधाओं के बारे में वक्तव्य

STATEMENT Re. FACILITIES FOR DISABLED SERVICEMEN AND WAR WIDOWS

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री, तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : संकट के पिछले कुछ दिनों में सम्पूर्ण राष्ट्र का ध्यान हमारी थल सेना, नौसेना, वायु सेना तथा सीमा सुरक्षा बल के पराक्रमी अधिकारियों और जवानों की ओर लगा रहा है। हमारे नगरों में शीघ्र ही प्रकाश तो झिलमिला उठेगा किन्तु अनेक दिलों में अन्धकार बना रहेगा।

सर्वाधिक बलिदान करने के कारण राष्ट्र अथवा परिवार को चाहे कितना ही गर्व क्यों न हो, परन्तु इस भावना से दैनिक जीवन की समस्याओं को निपटाने के लिए विधवा को अथवा उसके बच्चों को जो पिता के मार्गदर्शन से वंचित हो गये हैं, कोई सहायता नहीं मिल सकती। वीर युवकों को, जो स्वस्थ और शक्तिशाली शरीर वाले थे, और यदि अचानक उनके शरीर का कोई अंग नकारा हो जाये, तो इससे न केवल उसको शारीरिक कष्ट ही होगा, अपितु मानसिक सदमा और यन्त्रणा भी पहुँचेगी। इनमें से कोई भी दया अथवा दान का भिक्षुक नहीं है। उन्हें तो अपने जीवन में अचानक और अकल्पित हुए परिवर्तन के लिए पुनः संभलने के लिए सहानुभूति और सहायता की आवश्यकता है। हमें उन्हें विश्वास दिलाना चाहिए कि अभी उन्हें अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करना है और बदले में उन्होंने समाज को भी बहुत कुछ देना है।

1962 से ही, जबकि मैं केन्द्रीय नागरिक परिषद की अध्यक्ष बनी, इस समस्या से गंभीरतापूर्वक सम्बद्ध रही हूँ। तत्पश्चात् 1965 में पुनः मैंने अपने देश की सीमाओं पर स्थित लगभग

प्रत्येक सैन्य अस्पताल और पुनर्वास केन्द्रों का भी निरीक्षण किया। मेरे मन में यह विचार घूमता रहा है कि हमने पर्याप्त कार्य नहीं किया है।

शहीदों के जीवन का मूल्यांकन धन के रूप में नहीं किया जा सकता। परन्तु एक कृतज्ञ राष्ट्र को उनकी पत्नियों और बच्चों के कष्टों को कम करने के लिए अपना दायित्व याद है। सरकार ने, युद्ध में हुए विकलांगों और युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले सैनिकों के परिवारों की सहायता के अपने कार्यक्रमों की त्रुटियों को अब यथासंभव सुधारने का निर्णय किया है।

चूँकि हमारा लक्ष्य यह है कि समाज के निर्बलतम वर्ग की विशिष्ट रूप से सहायता की जाय, इसलिए इस समय हमें शारीरिक रूप से विकलांग और अपंग अन्य व्यक्तियों को भी नहीं भूल जाना चाहिए। उन्हें भी हमारी सहायता की जरूरत है। वे विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी कर्मचारी बन सकते हैं और उन्हें बनना भी चाहिए। उनमें से अनेक व्यक्तियों में कतिपय व्यवसायों के लिए विशेष योग्यता होती है, जिससे उनकी अपनी अपंगता की कमी पूरी हो सकती है।

शारीरिक रूप से हुए सभी विकलांगों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर की व्यवस्था करने की भी एक समस्या है। इसलिए हम संसद के समक्ष एक विधेयक लाना चाहते हैं, जिससे 25 व्यक्तियों से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति करने वाले सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के नियोजकों के लिए शारीरिक रूप से हुए विकलांगों के लिए कुछ स्थान आरक्षित करना अनिवार्य हो जायेगा। अनेक उद्योगपतियों और नियोजकों ने मुझे विश्वास दिलाया है कि उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया है और वे आगे भी इस मामले में और अधिक सहायता करेंगे। मुझे आशा है कि जो नियोजक इस विधेयक के अन्तर्गत नहीं आते, वे भी स्वेच्छा से इस कानून का पालन करने के लिए तैयार हो जायेंगे।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए यह अनिवार्य है कि वे विकलांगों समेत भूतपूर्व सैनिकों के लिए कुछ स्थान आरक्षित करें। यद्यपि यह बात सच है कि रोजगार की वास्तविक स्थिति संतोषप्रद नहीं है। इसलिए सरकार ने सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों को निदेश जारी करने का निर्णय किया है कि सरकारी विभागों के आधार पर ही रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए यदि आवश्यक हो तो संस्था के नियमों में संशोधन किया जाये। इस प्रकार के निदेश से विकलाँग हुए सैनिकों के लिए आरक्षित स्थान बढ़ जायेंगे।

सरकार के अधीन रोजगार के संबंध में प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों के असैनिक पदों पर प्रतिरक्षा सेनाओं के विकलाँग हुए अधिकारियों के पुनर्वास के लिए आयु सीमा, चिकित्सा की शर्तों में उदारता लाने के आदेश पहले ही जारी किये जा चुके हैं। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रदान की गई इन सुविधाओं को क्रियान्वित किया जायेगा। जहाँ तक विकलाँग भूतपूर्व सैनिकों का संबंध है उनके लिये सामान्यतया तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों में आरक्षित क्रमशः 10 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत पदों पर प्राथमिकता दी जायेगी। इसके अतिरिक्त, कुछ विशेष परिस्थितियों में साढ़े सात प्रतिशत अन्य रिक्तियाँ विकलांग भूतपूर्व सैनिकों से भरी जायेंगी।

इन दोनों श्रेणियों की रिक्तियों के अन-आरक्षित कोटे में भी विकलांग भूतपूर्व सैनिकों को वरीयता दी जायेगी। अब यह निर्णय किया गया है कि छंटनी किये गये सरकारी कर्मचारियों के

साथ उन्हें भी उच्चतम वरीयता दी जाये । यह भी निर्णय किया गया है कि कार्यवाही में शहीद हुए सैनिकों के परिवार के दो सदस्यों तक को नौकरी में लेने के लिये छंटनी किये गये सरकारी कर्मचारियों तथा विकलाँग सैनिकों के बाद उच्चतम वरीयता दी जायेगी । उन्हें यह भी छूट दी गई है कि उनके लिये काम दिलाऊ कार्यालय के माध्यम से आना जरूरी नहीं है ।

हम यह महसूस करते हैं कि केवल रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना ही पर्याप्त नहीं होगा । यह भी समान रूप से आवश्यक होगा कि इन अवसरों का पूरा लाभ उठाने में अपंग भूतपूर्व सैनिकों की सहायता की जाय । सरकार विकलांग भूतपूर्व सैनिकों के लिये विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की भी व्यवस्था करेगी ।

हमारे सैनिकों की विधवाओं की ओर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है । हमारा विचार उनको विभिन्न काम धन्धों में प्रशिक्षण देने का है, विशेषतया ऐसे कामों में जो उनकी आवश्यकता के अनुरूप हों । इसके बारे में एक दल द्वारा विस्तृत योजना तैयार की जा रही है ।

यह भी निर्णय किया है कि हाल के संघर्ष में रक्षा बलों तथा अर्द्ध सैनिक बलों के जो व्यक्ति शहीद हुए हैं अथवा स्थायी तौर पर विकलाँग हो गए हैं, उनके सब आश्रित बच्चों के लिये प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम तक शिक्षा का पूरा खर्च सरकार द्वारा दिया जायेगा । सरकार ऐसे आश्रितों के लिये भी जो इस समय स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनकी शिक्षा का पूरा खर्च देगी ।

हम कानून बना सकते हैं, परन्तु वास्तविक बात जनता के दृष्टिकोण की होती है । विकलाँग के प्रति जनता का व्यवहार पूर्वधारणाओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए । इसके विपरीत उन्हें पुन: आत्म निर्भर होने में पूरी सहायता देनी चाहिए, ताकि वे एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें ।

मुझे प्रसन्नता है कि केन्द्रीय सरकार की भांति उन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर कुछ राज्य सरकारों ने भी भूमि के नियतन, नकद अनुदान तथा शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियाँ इत्यादि द्वारा सैनिकों और उनके परिवारों को सहायता देने का निर्णय किया है । मैं आशा करती हूँ सरकार के इन प्रयासों के साथ-साथ जनता का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा ।

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक—जारी

ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) BILL—CONTD.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं प्रारम्भ में ही यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ, परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्य दिल्ली में ही नहीं, बल्कि अन्य स्थानों में भी बढ़े हैं ।

बजट के बाद तो कीमतों में वृद्धि हुई ही थी, परन्तु कुछ अवसरवादी व्यापारियों ने देश

की आपात स्थिति का नाजायज फायदा उठाकर सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोत्तरी कर दी है।

दिल्ली में सब्जियों के दाम बढ़ गये हैं; चीनी की कीमत 20 पैसे प्रति किलो बढ़ गई है, हालांकि कृषि मंत्री ने इस सदन में आश्वासन दिया था कि चीनी की कीमत नहीं बढ़ने दी जायेगी। मिट्टी के तेल की कीमत 61 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 67 पैसे प्रति लीटर तक हो गई है। टार्च सैल तो ड्योढ़ी कीमत देने पर भी नहीं मिलते। मोमबत्तियाँ और साधारण दवायें अधिक कीमत देने पर भी उपलब्ध नहीं होतीं। माँस, मछली, अंडों और अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतों में 25 से 30% तक की वृद्धि हुई है।

साधारण कम्बल की कीमत 5 रु० से 7 रु० तक बढ़ गई है और फ्लेनेल तथा अन्य ऊनी कपड़ों की कीमतों में 10 से 30% तक की वृद्धि हो गई है।

कुछ व्यापारियों ने समूचे राष्ट्र को हानि पहुँचा कर पैसा कमाया है और वे चाहते हैं कि युद्ध जारी रहे जिससे वे अत्यधिक मूल्य पर वस्तुओं को वेचकर लाभ कमाते रहें।

यह संशोधन 31 दिसम्बर, 1971 को समाप्त हो जायेगा। अब इसका उद्देश्य धारा 12 क को संशोधित करके यह व्यवस्था करनी है कि यह उपयुक्त बचाव उपबन्ध के साथ केवल दो वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा। अगर हम अपराधी व्यक्तियों को दण्ड नहीं दे सकते तो इस उपबन्ध का क्या उपयोग है? मंत्री महोदय हमें यह बतायें कि बजट की घोषणा के उपरान्त और इस आपात स्थिति के दौरान कितने व्यक्तियों को दण्ड दिया गया है? आवश्यकता इस बात की है कि इसका कारगर ढंग से और दृढ़ता से क्रियान्वयन किया जाये।

मूल्यों में वृद्धि के लिये सरकार ही उत्तरदायी है। यद्यपि युद्ध समाप्त हो चुका है, परन्तु कीमतें अवश्य बढ़ेंगी। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए संबद्ध व्यक्तियों को आदेश जारी करने चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक उचित स्तर पर मूल्य स्थिर हो सकें। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि केवल कागजी कार्यवाही ही न की जाय, बल्कि वास्तव में कुछ कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए, जिससे उन व्यक्तियों को कुछ शिक्षा मिल सके जो समूचे राष्ट्र की कीमत पर लाभ उठाना चाहते हैं।

SHRI PANNA LAL BARUPAL (Ganganagar): The prices of commodities are rising. My wife has informed me that sugar is being sold after sprinkling water over it from the shop at Rashtrapati Bhavan. I request that this matter should be enquired into immediately.

***श्री सी० चित्तिबाबू** (चिंगलपट): विकासशील देश का यह प्रमुख कर्त्तव्य है कि वह अपने आम नागरिकों को खाद्यान्न, खाद्य तेल और औषधियाँ उचित मूल्य पर उपलब्ध करे, तभी आम

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English Translation of the speech delivered in Tamil.

नागरिक सरकार के विकास कार्यों की सराहना कर सकेगा। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवश्यक वस्तुओं के वितरण और उत्पादन को कानूनी रूप से नियंत्रित किया जाय, जिससे आम नागरिकों के जीवन की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

इस कानून के अन्तर्गत सरकार ने 58 वस्तुओं को आवश्यक वस्तु घोषित किया है। समाचार-पत्रों को भी आवश्यक वस्तु घोषित किया जाना चाहिए ताकि समाचार-पत्रों के मालिक उनके मूल्यों को स्वेच्छा से न बढ़ा सकें। सरकार ने बंगला देश के लाखों शरणार्थियों की सहायता करने के पावन उद्देश्य से दो पैसे का उत्पादन शुल्क लगाया है, परन्तु समाचार-पत्रों के मालिकों ने उनका मूल्य 7 पैसे, 8 पैसे और 10 पैसे तक बढ़ा दिया। यहाँ यह स्मरण रखना होगा कि हमारे देश में रेडियो और सिनेमा जैसे जन संचार के साधन आम नागरिकों को उपलब्ध नहीं हैं, अतः इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए समाचार-पत्र को आवश्यक वस्तु घोषित किया जाना चाहिए।

सरकार द्वारा जारी किये गये विशेष आदेशों के उल्लंघन के मामले में संक्षिप्त विचारण करने की प्रक्रिया संबंधी उपबन्ध को अब इस संशोधन विधेयक के अधीन स्थायी करने का प्रस्ताव है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्ष 1970 में 22,800 अपराध हुए, हम सब इस विधेयक का स्वागत करते हैं।

देश में अपमिश्रण के मामलों में भारी वृद्धि हो रही है। उत्पादक और व्यापारी जानते हैं कि लोगों को अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदनी ही पड़ेंगी और वे इसका पूरा-पूरा लाभ उठाते हैं। सरकार को खाद्य अपमिश्रण निवारण के उपबंधों का कड़ाई से पालन करवाना चाहिए, तभी इस आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबन्धों से आम नागरिकों को लाभ होगा।

राज्य सभा में बोलते हुए मंत्री महोदय ने कहा था कि फसल के बाद के मूल्य के आधार पर वसूली-मूल्य का निर्धारण किया जायगा, जिससे छोटे उत्पादकों को उचित मूल्य उपलब्ध हो सके। राज्य सरकार पर आरोप लगाया जाता है कि वह भारतीय खाद्य निगम को सहयोग नहीं दे रही; परन्तु यह गलत है। राज्य सरकार अपने राज्य की जनता का कल्याण चाहती है। भारतीय खाद्य निगम को तमिलनाडु में वसूली कार्य बढ़ाना चाहिए।

इस अधिनियम के अन्तर्गत जारी की जाने वाली अधिसूचनाओं की प्रत्येक दो वर्ष बाद समीक्षा की जानी होती है। यह सरकार की इच्छा के प्रतिकूल है। मंत्री महोदय अपने उत्तर में इसे स्पष्ट करें।

श्री धनश्याम ओझा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अधिकांशतः इन संशोधनों का स्वागत किया है। उन्होंने इस अवसर पर मूल्य-वृद्धि, वस्तुओं के अभाव, अनुपलब्धता और अपमिश्रण आदि का भी उल्लेख किया है। द्रमुक पार्टी के माननीय सदस्य ने कहा है कि यह अधिसूचना दो वर्ष की अवधि के लिए ही लागू नहीं की जानी चाहिए। मुझे भय है कि धारा 12 (क) के उपबन्धों को उन्होंने ठीक से नहीं समझा है, क्योंकि यह केवल संक्षिप्त विचारण से संबद्ध है।

धारा 3 के अन्तर्गत आदेश जारी किये जाते हैं और अगर किसी आदेश को विशिष्ट आदेश के रूप में अधिसूचित कर दिया जाता है, तो न्यायालय इन मामलों पर संक्षिप्त विचारण करके निर्णय दे सकते हैं। जहाँ तक आवश्यक वस्तु अधिनियम संबंधी अपराधों का संबंध है, वे व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं हैं, अपितु समाज के विरुद्ध हैं। अत: उन्हें और अधिक कड़ाई, कठोरता और संक्षिप्त रूप में प्रयोग में लाना चाहिए ताकि ये मामले शीघ्रातिशीघ्र निपटाये जा सकें। परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कानून के कठोर उपबन्धों को संक्षिप्त रूप में ही प्रयोग में लाना चाहिए।

हम यह नहीं कहते कि दो वर्ष बाद ये उपबन्ध लागू नहीं रहेंगे। दो वर्ष पश्चात सरकार आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई और उनकी कीमतों के उतार-चढ़ाव का पुनरीक्षण करेगी। अगर सरकार यह महसूस करेगी कि अधिसूचना की अवधि को बढ़ाना लोकहित में है, तो सरकार लोक-सभा की स्वीकृति प्राप्त करेगी।

यदि सरकार यह महसूस करेगी कि अधिसूचना की अवधि को बढ़ाना लोक हित में होगा तो सरकार अवश्य ही ऐसा करेगी। सरकार को ये शक्तियाँ प्राप्त हैं।

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम हमारी अर्थ-व्यवस्था की एक स्थायी विशेषता है। बाधाएं तो मार्ग में आती ही रहती हैं। जिस तीव्र गति से हम विकास कर रहे है, संसाधनों को जुटा रहे हैं और उन्हें उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में लगा रहे हैं। इस सब प्रक्रिया में ऐसे अवसर तो आएंगे ही जबकि सप्लाई की कमी होगी व मार्ग में बाधाएं आयेंगी। अत: आज की जैसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमें अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम को संविधि पुस्तक में स्थायी स्थान देना चाहिये।

यह सब शक्तियाँ राज्य सरकारों को भी दी गई हैं। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि सप्लाई समुचित ढंग से होती रहे और मूल्यों में अनुचित वृद्धि न हो, हम राज्य सरकारों से निरन्तर सम्पर्क बनाये हुए हैं। जब भी यह पाया जाता है कि किसी क्षेत्र में किसी वस्तु की सप्लाई कम हो रही है तो जहाँ तक संभव हो हम तत्काल उस वस्तु की सप्लाई उस क्षेत्र में करते हैं।

हमने राज्य सरकारों को सतर्क कर दिया है कि देश के लिए अत्यावश्यक वस्तुओं के संबंध में समुचित निगरानी रखी जाए जिससे कि मूल्यों में स्थिरता रखी जा सके। इस सबका समुचित प्रभाव पड़ रहा है। परन्तु हमें यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये कि केवल कानून बनाने मात्र से ही समस्या हल नहीं हो जाती और न ही हमें इतने मात्र से ही सन्तोष धारण कर लेना चाहिये। समाज में जागरूकता की हमेशा अपेक्षा रहती है। अत: मूल्यों में स्थिरता बनाये रखने हेतु उपभोक्ता आन्दोलनों, नागरिक परिषद जैसे संगठनों की भी आवश्यकता रहती है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : खंडों के संबंध में कोई संशोधन नहीं है । अत: मैं सभी खंडों को मतदान के लिए रखूँगा । प्रश्न यह है :

" कि खंड 2 से 5, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

खंड 2 से 5, खंड 1, अधिनियमन का सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 2 to 5, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री घनश्याम ओझा : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक को पारित किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के बारे में सांविधिक संकल्प

STATUTORY RESOLUTION Re. PUNJAB STATE ELECTRICITY BOARD

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"जबकि विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 65 की उपधारा (3) के अनुसरण में पंजाब राज्य की सरकार ने, उस राज्य की विधान सभा की अनुमति से, अपने आदेश संख्या 8268–21 और ई/64, दिनांक 28 अप्रैल, 1964, द्वारा बीस करोड़ रुपये की राशि अधिकतम राशि के रूप में निर्धारित की है, जिसे उक्त धारा 65 की उपधारा (1) के अधीन पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड किसी भी समय उधार ले सकता है;

"और जबकि पंजाब राज्य की सरकार का विचार उक्त राशि को बढ़ाकर पचास करोड़ रुपये करने का है;

"और जबकि पंजाब राज्य की विधान सभा विघटित की जा चुकी है;

"*और जबकि राष्ट्रपति द्वारा, संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन, जारी की गई दिनांक 15 जून, 1971 की उद्घोषणा के अधीन, राज्य विधान मंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद् द्वारा किया जाना है;

अतः अब एतद् द्वारा संकल्प किया जाता है कि लोक सभा, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 65 की उपधारा (3) के अधीन पचास करोड़ रुपये की राशि अधिकतम राशि के रूप में निर्धारित करने के पंजाब राज्य सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन करती है, जिसे पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड उक्त धारा 65 की उप-धारा (1) के अधीन किसी भी समय उधार ले सकता है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"जबकि विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 65 की उपधारा (3) के अनुसरण में पंजाब राज्य की सरकार ने उस राज्य की विधान सभा की अनुमति से, अपने आदेश संख्या 8268–21 और ई/64, दिनांक 28 अप्रैल, 1964, द्वारा बीस करोड़ रुपये की राशि अधिकतम राशि के रूप में निर्धारित की है, जिसे उक्त धारा 65 की उपधारा (1) के अधीन पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड किसी भी समय उधार ले सकता है;

"और जबकि पंजाब राज्य की सरकार का विचार उक्त राशि को बढ़ा कर पचास करोड़ रुपये करने का है;

"और जबकि पंजाब राज्य की विधान सभा विघटित की जा चुकी है ;

"और जबकि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन, जारी की गई दिनांक 15 जून, 1971 की उद्घोषणा के अधीन राज्य विधान मंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद् द्वारा किया जाना है;

अतः अब एतद् द्वारा संकल्प किया जाता है कि लोक सभा, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 65 की उपधारा (3) के अधीन पचास करोड़ रुपये की राशि अधिकतम राशि के रूप में निर्धारित करने के पंजाब राज्य सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन करती है, जिसे पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड उक्त धारा 65 की उपधारा (1) के अधीन किसी भी समय उधार ले सकता है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : क्योंकि श्री विद्या चरण शुक्ल उपस्थित नहीं हैं और सभा के समक्ष कोई अन्य कार्यवाही नहीं है अतः सदन को 3·30 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

इसके पश्चात् लोक सभा 3·30 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till half-past fifteen of the Clock

लोक सभा 3 30 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled at thirty minutes past fifteen of the Clock-

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि रक्षा मंत्री 3·30 बजे के स्थान पर 3·45 पर वक्तव्य देंगे ।

उत्तर प्रदेश छावनी (भाटक तथा बेदखली नियंत्रण) (निरसन) विधेयक

UTTAR PRADESH CANTONEMENTS (CONTROL OF RENT AND EVICTION) (REPEAL) BILL

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

> "कि उत्तर प्रदेश छावनी (भाटक तथा बेदखली नियंत्रण) अधिनियम, 1952 के निरसन का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

इस विधेयक का उद्देश्य उत्तर प्रदेश की छावनियों और उत्तर प्रदेश राज्य के अन्य क्षेत्रों में भाटक नियंत्रण विधि में एकरूपता लाना है। संविधान के प्रवर्त्तन से पूर्व छावनी क्षेत्रों में आवास के भाटक नियंत्रण और उसके विनियमन के बारे में कानून बनाने का अधिकार भूतपूर्व राज्य विधान मंडलों को था । अधिकांश राज्यों में छावनी क्षेत्रों में, राज्य भाटक नियंत्रण अधिनियम लागू होता था और बाद में भी यही होता रहा । परन्तु संविधान लागू होने से कुछ समय पूर्व उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश (अस्थायी) भाटक नियंत्रण और बेदखली अधिनियम 1947 में एक संशोधन के द्वारा छावनी क्षेत्रों पर इस राज्य अधिनियम का अधिकार समाप्त हो गया। इसके पश्चात उस राज्य के छावनी क्षेत्रों पर कोई भी भाटक नियंत्रण कानून लागू नहीं होता था । इसी कारण संविधान की सप्तम अनुसूची भी संघीय सूची 1 की प्रविष्टि 3 के अधीन संसद को मिली शक्तियों के अनुसार पूर्वोक्त राज्य अधिनियम के अनुरूप ही उत्तर प्रदेश छावनियां (भाटक और बेदखली नियंत्रण) अधिनियम, 1952 को अधिनियमित किया गया ।

चूँकि 1952 के केन्द्रीय अधिनियम के प्रख्यापित होने के बाद 1947 के राज्य अधिनियम में बहुत से ऐसे संशोधन किये जा चुके हैं जो 1952 के केन्द्रीय अधिनियम में नहीं किये गये हैं, अतः सरकार को ऐसे कई अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं कि 1952 के केन्द्रीय अधिनियम में संशोधन किया जाए ताकि उसे 1947 के राज्य अधिनियमों के उपबंधों के अनुरूप बनाया जा सके। अतः प्रस्ताव यह है कि उत्तर प्रदेश छावनियाँ (भाटक और बेदखली नियंत्रण) अधिनियम, 1952 का निरसन किया जाए और उत्तर प्रदेश (अस्थायी) भाटक नियंत्रण और बेदखली अधिनियम 1947 (अथवा भाटक नियंत्रण अधिनियम जैसा जो भी अधिनियम लागू हो) को 1952 के केन्द्रीय अधिनियम के अधीन अधिसूचना जारी करके उत्तर प्रदेश के छावनी क्षेत्रों में साथ-साथ लागू किया जाये। ऐसा करने से राज्य अधिनियम के प्रत्येक संशोधन के पश्चात 1952 के केन्द्रीय अधिनियम में उसके अनुरूप संशोधन की अपेक्षा नहीं रहेगी।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : इस विधेयक का उद्देश्य सीमित है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। इसके साथ ही मैं यह अनुभव करता हूँ अब ऐसा समय आ गया है जबकि उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों में विभिन्न छावनी क्षेत्रों में इस समय वर्तमान सभी प्रतिबन्धों को हटाया जाए।

छावनियों की यह प्रथा अंग्रेजों ने चलाई थी। वे यह चाहते थे कि उनके सैनिक भारतीय जनता से दूर व अलग रहें। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात छावनी क्षेत्रों की असैनिक जनता ने यह दिखा दिया है कि रक्षा के अग्रिम क्षेत्रों में भी वे हमारे जवानों की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। जब वे सैनिकों की सहायता करने को इस प्रकार तत्पर हैं तो विभिन्न छावनी क्षेत्रों में लगे प्रतिबन्ध हटने चाहियें।

यह बहुत ही दुःख की बात है कि हमारे छावनी क्षेत्रों में सड़कों के नाम अंग्रेज अधिकारियों के नामों पर हैं। इन अंग्रेज अधिकारियों ने 1857 के हमारे स्वतन्त्रता संग्राम को कुचला था। अतः हमें अपनी राष्ट्रीय परम्पराओं का आदर करना चाहिए और इस बात का प्रयास करना चाहिए कि जब हम अपनी सेना को लोक सेना कहते हैं तो छावनियों में रहने वाले सैनिकों और नगरों मे रहने वालों में कोई अन्तर नहीं होना चाहिए।

श्री सुरजीत सिंह मजीठिया जब रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने सदन को आश्वासन दिया था कि अंग्रेजी शासन काल के दौरान लाए गए छावनी अधिनियम में संशोधन करने के लिए सरकार एक व्यापक कानून बनायेगी। परन्तु वह व्यापक विधेयक अभी तक नहीं बनाया गया है। अतः हम चाहते हैं कि मंत्री महोदय आश्वासन दें कि शीघ्र ही एक नया विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा जिससे कि छावनी बोर्डों का सारा काम लोकतन्त्री आधार पर हो।

SHRI MOHAMMED ISMAIL (Barrackpore) : The Cantonement Act was enacted during the British regime. They wanted that their soldiers should be away from the Indian population. They did not want them to mix with local population. It is a pity that even after 24 years of independence, the old Act has not been amended. But to-day the situations have changed entirely. To day our feelings are diverted towards our soldiers. People have shown that they are prepared to help our Jawans in the forward areas. In the changed circumstances

there is no necessity of keeping these people away from civilian popoulation and this practice should be stopped.

A comprehensive Act should be enacted in this regard, which should be in accordance with the changing times. There are certain restrictions in these cantonements. Soldiers living in these areas are not permitted to mix with civilian population. So much so that candidates contesting elections are not permitted to approach these soldiers. These candidates are not permitted to enter cantonement areas. These restrictions should be removed. It is the responsibility of the Government to see that Cantonements Act is amended suitably in order to make it appropriate in the present circumstances.

SHRI NARSINGH NARAIN PANDEY (Gorakhpur) : I support this Bill. Rent Control and Eviction Act should apply on cantonement areas. It is a pity that the Government did not pay any attention towards this so far.

श्री विद्या चरण शुक्ल : माननीय सदस्यों ने जो मूल्यवान सुझाव दिये उन्हें नोट कर लिया है। सरकार ने पुराने छावनी अधिनियम का संशोधन करने वाला एक व्यापक विधेयक तैयार कर लिया है। इस विधेयक का संबंध तो केवल उत्तर प्रदेश से है अतः इसे एक मत से स्वीकार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"उत्तर प्रदेश छावनी (भाटक तथा बेदखली) (निरसन) विधेयक, 1971 पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

खंड 2 तथा 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 1, The Enacting Formula and the title were added to the Bill.

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक को पारित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

भारत पर पाकिस्तानी आक्रमण के फलस्वरूप हुए हाल के सशस्त्र संघर्ष के परिणाम की समीक्षा करते हुए रक्षा मंत्री का वक्तव्य

STATEMENT BY DEFENCE MINISTER REVIEWING THE OUTCOME OF RECENT ARMED CONFLICT ARISING OUT OF THE PAKISTANI AGGRESION ON INDIA

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : शुक्रवार, 3 दिसम्बर 1971 को सायंकाल 5·40 बजे पाकिस्तान ने भारत के साथ पूर्णरूपेण युद्ध छेड़ दिया। हमारे हवाई अड्डों पर पूरे जोर के साथ हमले किये गए और पश्चिमी सीमा क्षेत्र के साथ हमारे सुरक्षा ठिकानों पर भारी आक्रमण किया गया। अपने पश्चिमी मोर्चे पर हम जवाबी कार्यवाही लगभग अर्द्ध रात्रि के समय आरम्भ कर सके।

हमने शनिवार, 4 दिसम्बर को बहुत सवेरे मुक्तिवाहिनी और बंगला देश के राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे के अन्य तत्वों के साथ मिलकर कार्यवाही करने के उद्देश्य से विभिन्न दिशाओं से उस क्षेत्र में प्रवेश किया जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। क्षेत्र 'ख' के मार्शल लॉ प्रशासक, लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी द्वारा गुरुवार, 16 दिसम्बर को मध्याह्न पश्चात 4·31 बजे आत्म समर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए जाने के बाद बंगला देश की जनता पाकिस्तान सरकार की दासता से अंततः मुक्त हो गई।

लगभग साढ़े सात करोड़ आबादी वाले इस विस्तृत भू-भाग में, जो नदियों और नालों से भरपूर है और जो पश्चिमी पाकिस्तानी मूल के 93,000 नियमित पैरा सैनिकों से घिरा हुआ था, मुक्ति आंदोलन की यह सफलता सैनिक इतिहास में एक अद्वितीय घटना है।

नागरिकों की क्षति को रोकने और राष्ट्रीय सम्पत्ति की हानि को बचाने की दृष्टि से मुख्य शहरों के पास से निकल जाने संबंधी हमारी सेवाओं की नीति से शत्रु आश्चर्यचकित रह गया। हमारी कुशल मोर्चाबन्दी और दृढ़ विश्वास के फलस्वरूप शत्रु की अनेक चौकियाँ बेकार हो गईं। मुक्ति वाहिनी हमारी सेनाओं के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर लड़ी। स्वतन्त्रता सेनानियों ने शत्रु के घर में ही उसे परेशान कर दिया जिससे हमारी सेनाओं को बहुत सहायता मिली। हमारी भारतीय वायु सेना ने पहले 24 घंटों में बंगला देश से सम्पूर्ण पाकिस्तानी वायु सेना का पूरी तरह से सफाया कर दिया और उस क्षेत्र के सम्पूर्ण आकाश पर अपना आधिपत्य जमा लिया। हमारी वायु सेना ने शत्रु के सैनिक ठिकानों पर भारी कहार ढाया और उनके सभी सप्लाई तथा बचाव मार्गों की नाकाबन्दी कर दी। ढाका के उत्तर में एक पूर्व निश्चित स्थान पर छाताधारी सेनिकों की एक पूरी बटालियन उतारी गई जहाँ मुक्तिवाहिनी और सशस्त्र सेना के साथ सहयोग कर, हम लड़ाई के ग्यारहवें दिना ढाका के बाहर पहुँचने में सफल हो गये।

इस युद्ध में हमारी नौसेना ने भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूर्वी नौसैनिक कमान ने हमारे विमान वाहक "विक्रान्त" का प्रयोग किया और चटगाँव बन्दरगाह के सभी मार्गों की नाकाबन्दी कर दी गई।

ऐसा लगता था कि लड़ाई के आरम्भिक दिनों में ही डिवीजनल कमांडरों पर मार्शलला प्रशासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था। 15 दिसम्बर की शाम को न जाने कैसे पाकिस्तानी सैनिक प्रशासकों को सद्बुद्धि आ गई तथा उन्होंने और अधिक खून बहाना उचित न समझा।

इस समय तक पश्चिम क्षेत्र में भी युद्ध का पासा पलट चुका था। हमारी सेना ने पुंछ, छम्ब और राजस्थान क्षेत्र में पाकिस्तानी आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब दे दिया था। शत्रु के पंजे से अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए भीषण युद्ध हो रहा था। हमारे बहादुर जवान अपनी मातृभूमि पर डटे रहे और उन्होंने शत्रु को उसकी भूमि में वापस खदेड़ दिया। स्थानीय कश्मीरियों ने घुसपैठ करने वालों के सभी प्रयत्नों को नाकाम कर दिया।

दूसरी ओर हमारी वायु सेना ने रात-दिन शत्रु के हवाई ठिकानों पर आक्रमण कर उसके अनेक हवाई अड्डों, हवाई पट्टियों तथा भूमि पर खड़े विमानों को नष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, शत्रु के महत्वपूर्ण सैनिक प्रतिष्ठानों को भी हमारी वायु सेना ने भारी क्षति पहुँचाई तथा इसके साथ ही अपनी सेनाओं को शत्रु के विमानों से पूर्ण सुरक्षा भी की।

हमारे पश्चिमी नौसैनिक कमान का काम पाकिस्तानी बेड़े पर काबू पाना तथा उसे हमारे जहाज़ों तथा बन्दरगाहों पर हमला करने से रोकना था। सदन इस तथ्य से भली-भांति अवगत है कि हमारे पश्चिमी बेड़े के जोरदार हमले के कारण ही कराची बन्दरगाह तथा तटीय प्रतिष्ठानों को भारी क्षति हुई और पाकिस्तानी बेड़े की शक्ति को काफी कमजोर कर दिया गया। हमारी नौसेना ने शत्रु को समुद्र द्वारा सप्लाई को काटने में भी पूरी सफलता प्राप्त कर ली।

शत्रु को अपने हमले की भारी कीमत अदा करनी पड़ी है। इस युद्ध में पाकिस्तान को अपने 94 विमानों, 246 टैंकों, 2 युद्ध पोतों, 2 पनडुब्बियों, 2 माइन स्वीपरों तथा 16 गनबोटों से हाथ धोना पड़ा। इतना ही नहीं पाकिस्तान के सैनिक महत्व के अनेक प्रतिष्ठानों को भी नष्ट कर दिया गया। ऐसा भी पता चला है कि उनके हताहतों की संख्या भी बहुत अधिक है। अभी तक निश्चित रूप से यह तो पता नहीं लगा कि कितने व्यक्तियों को बन्दी बनाया गया है परन्तु इतना अवश्य पता चल गया है कि ढाका में अब तक लगभग 24,000 व्यक्तियों द्वारा आत्मसमर्पण किया जा चुका है।

पश्चिम सीमा पर कल रात्रि 8 बजे से युद्ध विराम लागू हो गया है। जिस समय युद्ध विराम लागू हुआ उस समय पाकिस्तानी क्षेत्र की अनेक चौकियाँ हमारे कब्जे में थीं। इस समय कारगिल, गुरेस तथा उड़ी सेक्टर में लगभग 50 चौकियों पर हमारा कब्जा है। टिथवाल क्षेत्र में लीपा घाटी का काफी भाग हमारे अधिकार में है। पुंच्छ-राजोरी-नौशेरा सेक्टर में युद्ध विराम रेखा के पार हमने सामरिक महत्व के कुछ ऊँचे स्थानों पर अधिकार कर लिया है। अखनूर-डगर का समूचा भाग तथा जम्मू सेक्टर की अनेक सीमा चौकियों पर हमारा कब्जा है। हमने बसन्तर नदी को पार कर लिया है और शंकरगढ़-जफरवाल का अधिकांश क्षेत्र हमारे कब्जे में है। उधर रावी नदी के दक्षिण में डेरा बाबा नानक की चौकियों पर भी हमने अधिकार कर लिया हैं। बीकानेर सेक्टर में रूकानपुर, रनहाल तथा बीजानाट पर भी कब्जा कर लिया गया है जैसलमेर-इस्लामगढ़-मुखनमलाखु क्षेत्र में हम 4 से 8 मील तक पाकिस्तानी क्षेत्र के भीतर घुसे हुये हैं। सिंध सीमा पर अनेक चौकियों

के अतिरिक्त छाड़बेट सहित समूचे नगर पारकर बल्ज और कचार तथा बीरवाह पर हमने कब्जा कर लिया है। हमारे अधिकार में जो चौकियाँ और ठिकाने हैं उनसे हमारी पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित है तथा उन पर अधिकार से हमारी महत्वपूर्ण सड़कें भी पूर्णतया सुरक्षित रहेंगी।

पाकिस्तान की तुलना में हमें अपेक्षाकृत बहुत कम हानि हुई है। हमने अब तक 45 विमान, 73 टैंक तथा एक फ्रिगेट खोया है। हमारे सभी प्रतिष्ठान चालू हालत में हैं। बंगला देश को स्वतन्त्र कराने के लिए हमारे 1047 बहादुर अधिकारी तथा जवान वीर गति को प्राप्त हुये हैं, 3,047 घायल हुये हैं और 89 अभी लापता हैं। पश्चिमी मोर्चे पर 1,426 व्यक्तियों ने वीर गति पाई, 3,611 घायल हुये और 2,149 लापता हैं।

युद्ध विराम के समय मनव्वर तवी के पश्चिमी क्षेत्र पर पाकिस्तान का अधिकार था हुसैनीवाला में सतलुज़ के पश्चिम में भी यही स्थिति थी और फाजिल्का के पश्चिम में पाक्का ग्राम के एक छोटे से क्षेत्र पर भी पाकिस्तान का कब्जा है।

पाकिस्तान का यह हमला वहाँ के सैनिक शासकों को बहुत मंहगा पड़ा है। चौदह दिन की लड़ाई में ही उन्हें जितने बड़े क्षेत्र, जितने व्यक्तियों तथा जितने साज समान से हाथ धोना पड़ा है उसका पता लगने पर पाकिस्तान की जनता यह समझने लगेगी कि अकारण किसी पर हमला करने का परिणाम कितना घातक होता है।

[16 दिसम्बर की शाम को हमारी प्रधान मंत्री ने एकतरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। इससे न केवल पाकिस्तान की जनता अपितु सम्पूर्ण विश्व को यह स्पष्ट हो गया कि हमारा इरादा पाकिस्तान को हड़पने का नहीं है। अब हमारा यह प्रयास होगा कि परस्पर बातचीत करके पाकिस्तान के साथ नये संबंध स्थापित किये जायें। ये संबंध संघर्ष की अपेक्षा सहयोग पर आधारित होंगे। दोनों देशों के लोगों को हम यह आश्वासन देने का प्रयत्न करेंगे कि अब उन्हें बार बार होने वाले किसी प्रकार के युद्ध का भय नहीं रहेगा।

इसके साथ ही यह सभा उन असंख्य लोगों को धन्ययाद करती है जिन के बलिदानों और कष्टों के कारण हमारी सशस्त्र सेनाओं को इतनी बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। राष्ट्र रक्षा के इस महान यज्ञ में जिन लोगों ने अपने जीवन की आहुति दी है उनके परिवारों के प्रति हमारा विशेष उत्तरदायित्व तथा कर्त्तव्य है। इसके साथ ही हम उन लोगों की ओर भी पूरा ध्यान देंगे जो कि इस युद्ध में विकलांग हो गये हैं।]

इस युद्ध में जो सफलता प्राप्त हुई है उसमें सशस्त्र सेनाओं के योगदान के साथ ही खेत में काम करने वाले किसान, कारखाने में काम करने वाले मजदूर, रेल कर्मचारियों तथा ट्रक ड्राईवरों का सहयोग भी किसी प्रकार कम नहीं है। हमारे राष्ट्र को इस बात पर गर्व है कि हमारे देश के लोगों ने पूर्ण निष्ठा, त्याग, निश्चय, योग्यता और कुशलता के साथ इस युद्ध में भाग लिया। हमारी जल, थल और वायु सेनाओं ने जिस योजनाबद्ध सहयोग से कार्य किया है उससे यह स्पष्ट है कि भारतमाता की सुरक्षा किसी भी बाहरी आक्रमण से की जा सकती है।

हमारी सेनाओं ने स्थिति को बड़ी हिम्मत से सम्भाला है। उन्होंने रणक्षेत्र में जो सफलता प्राप्त की है, उससे हमारे अन्दर विश्वास पैदा हुआ है और उससे हमें गरीबी को दूर करने में सफलता मिलेगी।

उन्होंने जिस योग्यता के साथ अपने राष्ट्रीय दायित्वों को निभाया है, उसके लिए सम्पूर्ण राष्ट्र उनका कृतज्ञ है और उनकी भरपूर प्रशंसा करता है।

इसके पश्चात लोक-सभा सोमवार, 20 दिसम्बर 1971/29 अग्रहायण, 1893 (शक) के 10·00 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till ten of the Clock on Monday, December 20, 1971/ Agrahayana 29, 1893 (Saka)

New India Printing Press, Khurja